निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 चैत्र 1947 (श0)

(सं0 पटना 217) पटना, शुक्रवार, 28 मार्च 2025

वित्त विभाग

अधिसूचना

13 मार्च 2025

सं० 35/वि०आ०(7)–35/2024–2858—भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(I) सहपठित 243(Y) के अनुपालन में तथा बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 168 एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 71 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्यपाल, श्री अशोक कुमार चौधरी, (सेवानिवृत्त भा०प्र०से०(1972)) की अध्यक्षता में सप्तम् राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं, जिसमें निम्नलिखित दो अन्य सदस्य शामिल होंगे।

(I) सदस्य–श्री अनिल कुमार, (सेवानिवृत्त बि०प्र०से०–कोटि क्रमांक–223/2011)

(II) सदस्य–डॉ० कुमुदिनी सिन्हा, सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र संकाय, पटना विश्वविद्यालय।

2. आयोग पंचायतों (जिला परिषद्, पंचायत समितियों तथा ग्राम पंचायतों) एवं नगरपालिकाओं (नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पंचायतों) की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा एवं निम्न विषयों के संबंध में अनुशंसाएँ देगा :–

(क) वैसे सिद्धांत, जो निम्नांकित को विनियमित करेंगे:–

(i) राज्य, राज्य पंचायतों (जिला परिषद्, पंचायत समितियों तथा ग्राम पंचायतों) के बीच सरकार द्वारा उद्ग्रहण योग्य ऐसे कर, शुल्क तथा फीस के शुद्ध आगम का वितरण तथा ऐसे आगम का पंचायतों (जिला परिषद्, पंचायत समितियों तथा ग्राम पंचायतों) एवं नगरपालिकाओं (नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पंचायतों) के बीच उनके अपने–अपने अनुपात के अनुसार वितरण,

(ii) पंचायतों एवं नगरपालिकाओं को सौपें जाने वाले या उनके द्वारा विनियोजित किए जानेवाले कर, शुल्क एवं फीस का अवधारण,

(iii) राज्य के संचित निधि से पंचायतों एवं नगरपालिकाओं को दिया जाने वाला सहायता अनुदान,

(ख) पंचायतों एवं नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए आवश्यक उपाय,

(ग) आयोग द्वारा अपने निष्कर्षों का आधार निदिष्ट किया जायेगा तथा पंचायतों तथा नगरपालिकाओं की प्राप्तियों तथा व्यय का अनुमान उपलब्ध कराया जाएगा।

3. आयोग संदर्भित विषयों पर 31 मार्च 2026 तक अपना प्रतिवेदन उपलब्ध कराएगा।

4. आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्ता एवं अन्य सुविधाओं का निर्धारण वित्त विभाग द्वारा किया जायेगा।

5. आयोग संचालन के लिए अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करेगा।

6. आयोग को सचिवालीय सहायता वित्त विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
आनन्द किशोर,
प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 217-571+500-डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in